झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 09,फाल्गुन,1944 (श०) / 28 फरवरी, 2023 (ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01-	02	03	04	05	06
01-	अ०सू०–17	डॉ०इरफान अंसारी,	शिक्षकों की नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
02-	अ०सू०–23	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	नियमावली में संशोधन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
03-	अ०सू०–24	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	फिजियोथेरेपिस्ट के मानदेय में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
04-	अ०सू०–22	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	शिक्षकों की नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
05-	अ०सू०–05	श्री भानु प्रताप शाही,	I.M.C की स्थापना।	उद्योग	21-02-23
06-	अ०सू०–11	डॉ०सरफराज अहमद,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
07-	अ०सू०–08	श्री अमित कुमार यादव,	छात्रावास की सुविधा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
08-	अ०सू०–13	प्रो०स्टीफन मराण्डी,	कॉलेज भवनों का सदुपयोग।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
09-	अ०सू०–01	श्री विनोद कुमार सिंह,	विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-02-23
10-	अ०सू०–33	श्री प्रदीप यादव,	मॉडल स्कूल बनाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23

कृ०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
11-	अ0सू0-04	श्री विकास कुमार मुण्डा,	वन भूमि सूची से हटाना।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	14-02-23
12-	अ0सू0-03	श्री विनोद कुमार सिंह,	कैबिनेट के निर्णय को लागू करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-02-23
13-	अ0सू0-32	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	रिक्त पदों को को भरना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
14-	अ0सू0-31	श्री अमित कुमार मंडल,	दिशा निर्देश देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
15-	अ0सू0-14	डॉ0सरफराज अहमद,	इंडस्ट्रियल कलस्टर बनाना।	उद्योग	21-02-23
16-	अ0सू0-44	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	जंगल कटाई रोकना।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	23-02-23
17-	अ0सू0-10	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	आधारभूत संरचना देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
18-	अ0सू0-18	श्री अनन्त कुमार ओझा,	शिक्षकों की नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
19-	अ0सू0-12	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	कम्प्युटर लैब की व्यवस्था।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
20-	अ0सू0-27	श्री मनीष जायसवाल,	बैंक खाता खुलवाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
21-	अ0सू0-30	श्री प्रदीप यादव,	कार्बन उत्सर्जन रोकना।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	23-02-23
22-	अ0सू0-46	श्रीमती सबिता महतो,	मुआवजा राशि बढ़ाना।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	23-02-23
23-	अ0सू0-09	सुश्री अम्बा प्रसाद,	वन भूमि को बचाना।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	21-02-23
24-	अ0सू0-15	श्री बिरंची नारायण,	बेबसाईट को अपग्रेड करना।	सू0प्रौ0एवं ई-गवर्नेश	21-02-23
25-	अ0सू0-16	श्री बिरंची नारायण,	मानव संसाधन उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
26-	अ0सू0-02	श्री विकास कुमार मुण्डा,	एलिफैंट कोरिडोर का निर्माण।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	14-02-23
27-	अ0सू0-39	श्री राज सिन्हा,	खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति।	पर्य0कला,सं0 खे0कू0 एवं युवा कार्य	23-02-23
28-	अ0सू0-29	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स्मार्ट क्लास प्रारंभ करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	23-02-23

राँची,
दिनांक-28 फरवरी,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0.....3

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-.....573...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....26/02/23.....

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-.....573...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....26/02/23.....

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-.....573...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....26/02/23.....

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ ऑनलाईन शाखा /प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

25/02

(01)

584
27/07/2023

डॉ. इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–17

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की उपलब्धता स्वीकृत बल के विरुद्ध नहीं रहने के कारण उनके पद रिक्त हैं और ऐसे में उर्दू पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत उच्च विद्यालयों में उर्दू विषय में कुल स्वीकृत पद 12 के विरुद्ध कार्यरत बल की संख्या–04 है। इस प्रकार उर्दू विषय में वर्त्तमान में कुल–08 पद रिक्त हैं। +2 उच्च विद्यालयों में उर्दू एवं अन्य ऐसे विषय, जिसमें स्नातकोत्तर पद सृजित नहीं हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञप्ति 21/2016 के तहत् माननीय उच्चतम् न्यायालय के सिविल अपील सं. 4044/2022 से उद्भूत अवमाननावाद (सि.) सं. 612/2022 में दिनांक 15.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में उच्च विद्यालय के शेष रिक्त पदों पर राज्यस्तरीय मेधा सूची के आधार पर अनुशंसा एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य पदों की नियुक्ति नियमावली का गठन किया जा चुका है। कतिपय संशोधन होते ही नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–35/2023...584.../ दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

02

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–23

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
		Government. The directions issued by the Tribunal therefore cannot be sustained. They are apparently unjustified and without authority of law."
3	क्या यह बात सही है कि माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 558/22 दिनांक 21.06.2022 द्वारा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को झारखण्ड राज्य वित्त रहित संस्थान (अनुदान) नियमावली 2015 में (मंहगाई को देखते हुए) संशोधन करने से संबंधित नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा चुका है परन्तु आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वित्तरहित संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2015 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्त संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2013 में मंहगाई को देखते हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हित में संशोधन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडों में निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–33/2023 579 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–23

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को वर्त्तमान समय में भीषण मंहगाई को देखते हुए सरकार द्वारा सप्तम् वेतनमान् का लाभ दिया जा रहा है तथा समय–समय पर मंहगाई भत्ता में भी वृद्धि की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार द्वारा वेतनमान् में पुनरीक्षण एवं उसका लाभ वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं अन्य बनाम् पी.वी. हरिहरण एवं अन्य (Union of India and another vs. P.V. Hariharan and another (1997) 3 SCC 568), वाद में पारित आदेश में इसे स्पष्ट किया गया है कि *"The Tribunal should realise that interfering with the prescribed pay scales is a serious matter. The Pay Commission, which goes into the problem at great depth and happens to have a full picture before it, is the proper authority to decide upon this issue."*
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वित्त रहित शिक्षा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त रहित संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2015 के आधार पर भुगतान की जा रही है, जिससे शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में संचालित वित्तरहित शिक्षा संस्थान, निजी संस्थान हैं एवं उनमें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संस्थान के शासी निकाय के द्वारा किया जाता है। ये कर्मी राज्य सरकार के कर्मी नहीं होते हैं। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 233/1991, भारत संघ एवं अन्य बनाम् तेजराम परशरामजी बंभाटे एवं अन्य वाद में दिनांक 03.05.1991 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समरूप वेतनमान् का लाभ नहीं दिया जा सकता है – *"Servide Law - Government Servants - School run by officers of Ordnance Factory and not approved by Government - Teachers employed by local arrangement by the officers of the Ordnance Factory and being paid honorarium out of fees received from the students and other donations and not by or on behalf of the government - Held no relationship of master and servant existed between the government and the teachers and the government not accountable to such arrangement.* *5. Secondly, the respondents are not paid by the Central Government. They are not holding any appointment under the Central Government. There is no relationship of master and servant between the Central Government and the respondents. the respondents are employeed in the Secondary School by local arrangement made by the officers of the ordance factory. It is not proved that how the Central Government is accountable to such arrangement made by the local officers.* *7. In any view of the matter, the respondents cannot claim the pay scale admissible to the government school teachers much less regularization of their services by the Central*

(03)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

277
27.2.23

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–24

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चे के लिए समावेशी विकास हेतु 15 वर्षों से रिसोर्स शिक्षक फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत है, जिनका मानदेय वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् 15,730 रुपये भुगतान किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सह है कि खंड–1 में वर्णित शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव Project Approval Board, GoI के अनुमोदन एवं राशि प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के PAB के सक्षम प्रस्तुत किया गया परन्तु संबंधित बिन्दु पर स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया पुनः साधनसेवियों के मानदेय वृद्धि हेतु Additional Fund की मांग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से करते हुए पत्र प्रेषित किया गया जिसके आलोक में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने पर असमर्थता व्यक्त किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य सरकार के फंड से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत रिसोर्स शिक्षक फिजियोथेरेपिस्ट के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य कार्यकारिणी की 57वीं बैठक में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सभी रिसोर्स शिक्षक/थेरापिस्ट के मानदेय में 20 प्रशिक्षत की बढ़ोतरी के साथ मासिक नियत यात्रा भात्ता 500/– रुपये की अनुशंसा इस शर्त के साथ की गई है कि अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को समग्र शिक्षा के वित्तीय वर्ष 2021–22 के PAB के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजा जाए। जिसके आलोक में बजट अंतर्गत प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा गया। भारत सरकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने पत्रांक File No. 13-4/2021-IS-15 दिनांक 04.01.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि समग्र शिक्षा के मानक के तहत भारत

Khurshid

		वर्ष के सभी 36 राज्यों में मानदेय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः झारखंड हेतु इस वृद्धि का राज्य सरकार की निधि से ही वित्तीय भार का वहन किया जाए। 2. तदनुसार रिसोर्स शिक्षकों से संदर्भित 20 प्रतिशत की मानदेय वृद्धि एवं रुपये 500/– प्रति माह यात्रा भत्ता के साथ वृद्धित मानदेय का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त करते हुए पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। 3. योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा इसे योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। 4. राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में समावेशी शिक्षकों एवं थेरापिस्ट को वर्द्धित मानदेय प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–84/2023 ~~297~~ 277/राँची, दिनांक 27.02./2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–181 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

04

583
27/02/2023

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–22

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 10+2 विद्यालयों में राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं मानवशास्त्र विषयों के शिक्षकों की घोर कमी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 510, +2 उच्च विद्यालयों में 11 विषयों – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य, प्रत्येक के एक–एक पद स्वीकृत हैं। वर्ष 2021 में उत्क्रमित 125, +2 उच्च विद्यालयों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि इन विषयों का पद स्वीकृत/सृजित नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विषयों के शिक्षकों की कमी के कारण छात्र–छात्राओं को शिक्षण ग्रहण करने में काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं;	अस्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं.– W.P.(PIL) No. 3547/2016 के पारित न्यायादेश दिनांक 29.06.2018 के अनुपालन में गठित समिति की कार्यवाही–सह–अनुशंसा दिनांक 20.09.2021 के आधार पर मानविकी सहित अन्य विषय तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–34/2023 583 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

(05)

श्री मानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि भारत सरकार की योजना AKIC (Amritsar Kolkata Industrial Cooridor) परियोजना अन्तर्गत IMC (Integrated Manufacturing Cluster) के स्थापना के लिए भावनाथपुर माइंस को लीज क्षेत्र चिन्हित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। भवनाथपुर माइंस क्षेत्र की जमीन पर IMC स्थापना हेतु सेल बोकारों द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। सेल बोकारो के प्रस्ताव एवं उपायुक्त गढ़वा के प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनंल ट्रेड, भारत सरकार के पदाधिकारियों एवं राज्य के वरीय पदाधिकारियों की बैठक में उक्त जमीन को IMC स्थापना हेतु अनुपयुक्त पाया गया।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त वर्णित मामले के संबंध में उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा राज्य सरकार को रिर्पोट भेजी जा चुकी है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला आकांक्षी जिला के रुप में चिन्हित है और जिले में एक भी उद्योग नहीं है;	गढ़वा जिला आकांक्षी जिला के रुप में चिन्हित है। वर्तमान में जिले में 191 औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार IMC (Integrated Manufacturing Cluster) की स्थापना भवनाथपुर टाउनशिप में कराना चाहती है, हाँ कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के स्तर पर भवनाथपुर टाउनशीप में IMC (Integrated Manufacturing Cluster) की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनंल ट्रेड, भारत सरकार के और उक्त लीज क्षेत्र को अनुपयुक्त बताया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–07/23 242 /राँची, दिनांकः– 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–116 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/04/2023

सरकार के अवर सचिव

06

593
22/02/2022

डॉ. सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 1200 विद्यालय छात्र–शिक्षक के आदर्श अनुपात, पढ़ाई के स्तर एवं आधारभूत संरचना के मामले में काफी पीछे है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्यालयों, आर.टी.ई. के मानक के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता वाले विद्यालयों एवं आधारभूत संरचना आदि की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या निम्नांकित है :– (क) कुल विद्यालयों की संख्या :– कुल विद्यालयों की सं. / मात्र बालक विद्यालयों की सं. / मात्र बालिका विद्यालय की सं. / सह–विद्यालयों की सं. 35438 / 50 / 445 / 34943 (ख) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :– कुल प्राथमिक विद्यालयों की सं. / प्राथमिक विद्यालय, जिनमें आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हैं / कुल उच्च प्राथमिक/मध्य विद्यालयों की सं. / उच्च प्राथमिक/मध्य विद्यालयों, जिनमें आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हैं 21183 / 9928 / 13664 / 2286 (ग) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :– बालिका प्रसाधन कक्ष विहीन / बालक प्रसाधन कक्ष विहीन / कार्यात्मक बालिका प्रसाधन कक्ष विहीन / कार्यात्मक बालक प्रसाधन कक्ष विहीन / शुद्ध पेयजल विहीन 287 / 581 / 983 / 1398 / 675 रैंप विहीन / चारदिवारी/घेरा विहीन / खेल का मैदान विहीन / पुस्तकालय विहीन / विद्युत विहीन 9109 / 24842 / 16954 / 1429 / 2447
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में कई विद्यालय शिक्षकविहीन है या एक शिक्षकीय है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार एक शिक्षिकीय विद्यालयों की संख्या 6904 है एवं ऐसे विद्यालयों की संख्या, जहां छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक है, 13620 है।
3	क्या यह बात सही है कि आधारभूत संरचना एवं शिक्षक के अभाव में राज्य के अनेक विद्यालय बंद हो गये हैं, जिसके कारण उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों का पठन–पाठन ठप है;	अस्वीकारात्मक। शिक्षकविहीन विद्यालयों में नजदीक के विद्यालयों से शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

डॉ. सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिला के विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन करने एवं उन विद्यालयों में आधारभूत संरचना बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के उच्च विद्यालयों में माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्व की विज्ञप्ति अन्तर्गत रिक्त रह गये पदों के विरुद्ध संप्रति नियुक्ति हेतु अनुशंसा एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं +2 उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु उनके नियमावली के गठन/संशोधन, आदि की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आधारभूत संरचना में विकास हेतु समग्र शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार के बजट के अन्तर्गत प्रावधान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–14/2023 593 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

(06)

593
27/02/2023

डॉ. सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 1200 विद्यालय छात्र–शिक्षक के आदर्श अनुपात, पढ़ाई के स्तर एवं आधारभूत संरचना के मामले में काफी पीछे है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्यालयों, आर.टी.ई. के मानक के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता वाले विद्यालयों एवं आधारभूत संरचना आदि की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या निम्नांकित है :– (क) कुल विद्यालयों की संख्या :– (तालिका नीचे) (ख) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :– (तालिका नीचे) (ग) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :– (तालिका नीचे)
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में कई विद्यालय शिक्षकविहीन है या एक शिक्षकीय है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार एक शिक्षिकीय विद्यालयों की संख्या 6904 है एवं ऐसे विद्यालयों की संख्या, जहां छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक है, 13620 है।
3	क्या यह बात सही है कि आधारभूत संरचना एवं शिक्षक के अभाव में राज्य के अनेक विद्यालय बंद हो गये हैं, जिसके कारण उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों का पठन–पाठन ठप है;	अस्वीकारात्मक। शिक्षकविहीन विद्यालयों में नजदीक के विद्यालयों से शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

(क) कुल विद्यालयों की संख्या :–

कुल विद्यालयों की सं.	मात्र बालक विद्यालयों की सं.	मात्र बालिका विद्यालय की सं.	सह–विद्यालयों की सं.
35438	50	445	34943

(ख) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :–

कुल प्राथमिक विद्यालयों की सं.	प्राथमिक विद्यालय, जिनमें आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हैं	कुल उच्च प्राथमिक / मध्य विद्यालयों की सं.	उच्च प्राथमिक / मध्य विद्यालयों, जिनमें आर.टी.ई. मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हैं
21183	9928	13664	2286

(ग) आर.टी.ई. मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या :–

बालिका प्रसाधन कक्ष विहीन	बालक प्रसाधन कक्ष विहीन	कार्यात्मक बालिका प्रसाधन कक्ष विहीन	कार्यात्मक बालक प्रसाधन कक्ष विहीन	शुद्ध पेयजल विहीन
287	581	983	1398	675
रैंप विहीन	चारदिवारी / घेरा विहीन	खेल का मैदान विहीन	पुस्तकालय विहीन	विद्युत विहीन
9109	24842	16954	1429	2447

डॉ. सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिला के विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन करने एवं उन विद्यालयों में आधारभूत संरचना बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के उच्च विद्यालयों में माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्व की विज्ञप्ति अन्तर्गत रिक्त रह गये पदों के विरुद्ध संप्रति नियुक्ति हेतु अनुशंसा एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं +2 उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु उनके नियमावली के गठन / संशोधन, आदि की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आधारभूत संरचना में विकास हेतु समग्र शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार के बजट के अन्तर्गत प्रावधान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–14 / 2023.......593....... / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

07

588
27/02/2023

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–08

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में ग्रामीण छात्र–छात्राओं को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मॉडल स्कूल की स्थापना की गयी है, जहॉ पठन–पाठन कार्य अगले सत्र से प्रारंभ होगा;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 89 प्रखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर, कक्षा– 6 से कक्षा–12 हेतु अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालय संचालित हैं। भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) द्वारा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 40 एवं 49 मॉडल विद्यालयों के संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। भारत सरकार द्वारा मॉडल विद्यालयों के लिए यह स्वीकृति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में वर्ग–6 से 12 तक संचालित करने हेतु प्रदान किया गया था। भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय योजना को दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से बन्द करते हुए राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान भी बन्द कर दिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या–1203 दिनांक 14.06.2016 द्वारा केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय योजना को राज्य योजना के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्त्तमान में राज्य के सभी 89 मॉडल विद्यालयों का संचालन राज्य योजना के रूप में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मॉडल विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण सुदूर इलाके के ग्रामीण छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होगी;	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट घोषणा में मॉडल विद्यालयों की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन के तहत् उन्हें आवासीय विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु माननीय विभागीय मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी। वर्त्तमान में कुल 89 मॉडल विद्यालयों में भवन के संरचना एवं आकार के सापेक्ष छात्र–छात्राओं का नामांकन अपेक्षाकृत कम होने की स्थिति के आधार पर 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्त्तित करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–398 दिनांक–14.02.2023 के द्वारा प्रदान की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में राज्य के सभी मॉडल स्कूल में छात्रावास की सुविधा प्रदान करना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त 20 मॉडल विद्यालयों में, जिनमें छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है (पू. सिंहभूम–2, प.सिंहभूम–1, गिरिडीह–8, हजारीबाग–2, गुमला–1, लातेहार–1, पाकुड़–1, राँची–3 एवं सरायकेला–खरसांवा–1), में छात्रावास निर्माण हेतु शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं अन्य 42 मॉडल विद्यालयों में, जहां भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, में विद्यालय को अपने भवन में स्थानान्तरित करने के साथ–साथ छात्रावास की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

सरकार के अवर सचिव।

(08)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-13 का उत्तर :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार का कानूनी प्रावधान एवं गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मद्देनजर राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का सरकार ने वर्षों पूर्व संकल्प लिया था;	अस्वीकारात्मक। विधानसभावार जहां अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, वैसे विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनेकों पूर्ण परंतु अहस्तांतरित डिग्री कॉलेज भवनों की भाँति महेशपुर, नाला, शिकारीपाड़ा एवं सारठ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत महेशपुर, फ़तेहपुर, शिकारीपाड़ा एवं पालाजोरी में कॉलेज भवन बनाकर तैयार रहने के बावजूद भी अहस्तांतरित एवं बेकार पड़े हुए है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री कॉलेज, महेशपुर का निर्माण कार्य 100% पूर्ण हो चुका है तथा भवन हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। डिग्री महाविद्यालय, फतेहपुर, नाला का कार्य 95% पूर्ण हो चुका है। डिग्री महाविद्यालय, शिकारीपाड़ा का कार्य 95% पूर्ण हो चुका है। मॉडल महाविद्यालय, पालोजोरी का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को हस्तांतरित है। मॉडल महाविद्यालय, पालोजोरी में छात्रों का नामांकन किया गया है तथा उक्त महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य तथा बर्सर की नियुक्ति की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त भवनों के हस्तांतरण नहीं होने का मुख्य कारण डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य संवर्गो में पदों की स्वीकृति का नहीं होना है;	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची द्वारा निर्गत संकल्प पत्रांक 1923 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त कॉलेजों हेतु विभिन्न संवर्गों में पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित कॉलेज भवनों का सदुपयोग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका-1 एवं 2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक-01/वि0स0-09/2023......513......./ राँची, दिनांक ....26/02/2023..../

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-105, दिनांक-21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23

(सुरेश चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

09

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 300 से ज्यादा JRF पास अभ्यार्थियों को शिक्षकों के अभाव में शोध निदेशक नहीं मिल रहे है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों के 40% से ज्यादा शिक्षक के पद खाली है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेहतर उच्च शिक्षा की गुणवता और शोध को बढ़ावा हेतु विश्वविद्यालयों शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित है। इस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–08 / 2023 511 / रॉची, दिनांक 26/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–20 दिनांक–14.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(10)

603
27/02/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–33

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना *Private English School* के तर्ज पर 89 मॉडल स्कूल बनाया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 89 मॉडल विद्यालय संचालित है। भारत सरकार के *Project Approval Board (PAB)* द्वारा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 40 एवं 49 मॉडल विद्यालयों के संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यह स्वीकृति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में वर्ग–6 से 12 तक संचालित करने हेतु प्रदान की गयी थी, परन्तु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय योजना को दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से बन्द करते हुए राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान भी बन्द कर दिया गया। विभागीय संकल्प संख्या–1203 दिनांक 14.06.2016 द्वारा मॉडल विद्यालय योजना को राज्य योजना के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्त्तमान में राज्य के सभी 89 मॉडल विद्यालयों का संचालन राज्य योजना के रूप में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि आधारभूत संरचना के बावजूद भी योजना असफल होते नजर आ रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट घोषणा में मॉडल विद्यालयों के पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन के तहत् उन्हें आवासीय विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु घोषणा की गयी है, फलस्वरूप वर्त्तमान में 89 मॉडल विद्यालयों में भवन की संरचना एवं आकार के सापेक्ष छात्र–छात्राओं के नामांकन की स्थिति के आधार पर 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्त्तित करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं.–398 दिनांक–14.02.2023 के द्वारा प्रदान की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022–23 में राज्य भर के 81 मॉडल स्कूलों में एक भी छात्र ने नामांकन नहीं लिया है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में कुल 89 मॉडल विद्यालयों में भवन की संरचना एवं आकार के सापेक्ष छात्र–छात्राओं का नामांकन अपेक्षाकृत कम है। मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2021–22 में नामांकन की स्थिति निम्नांकित थी :–

Enrollment Range	No of School	Enrollment			Total Enrollment
		Upper Primary	Secondary	Hr. Secondary	
0 to 50	32	487	303	42	832
51 to 100	27	1273	752	110	2135
101 to 150	19	1314	890	205	2409
151 to 200	8	633	418	286	1337
201 to 237 (Max.)	3	173	98	591	862
Total	89	3880	2461	1234	7575

शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में 89 मॉडल विद्यालयों में नव नामांकित छात्रों की संख्या 3462 है तथा वर्त्तमान में कुल नामांकन 11037 है।

राज्य योजना अन्तर्गत संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में छात्रों के खाली रह गये सीटों पर नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए उनसे नामांकन करने तथा विद्यालय प्रबंधन एवं

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–33

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
		जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नाम, नामांकन हेतु अनुशंसित कर भरे जाने हेतु विभागीय संकल्प सं. – 2419 दिनांक–13.09.2022 निर्गत किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 394 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा 89 मॉडल विद्यालयों के साथ–साथ अन्य आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक विद्यालय के वर्ग 05 के कम से कम 05–10 छात्र–छात्राओं के नामांकन हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से आवेदन करने/कराये जाने के लिए निदेशित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण योजना की सफलता हेतु ठोस कदम चठाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

27/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–40/2023 603 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

(11)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में 1976 मे बिहार सरकार द्वारा पूर्व के नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 955, दिनांक–24.05.1976 द्वारा हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी को अधिसूचित किया गया है। यह क्षेत्र पूर्व में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित नहीं था।
2. क्या यह बात सही है कि उस वक्त सेंचुरी के करीब आने वाले कई गाँवों की कुछ प्लॉट्स को भी सेंचुरी में अंतर्निहित कर लिया गया था, जिसका एक उदाहरण हजारीबाग जिला के इचाक प्रखण्ड के डुमरांव पंचायत का डुमरांव गाँव है, जिसके कुल 14 प्लॉट को 1976 में सेंचुरी का हिस्सा बनाया गया था और वर्ष 2019 में हजारीबाग स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि 1976 के अनुसार ऐसे कई गाँव जिनका कुछ हिस्सा ही सेंचुरी का भाग था उसे 2019 में पूरा का पूरा वन का हिस्सा बता दिया गया जैसे कि डुमरांव, पूर्व में इसके महज 14 प्लॉट वन के भाग थे परन्तु वर्तमान में सारा गाँव को वन विभाग द्वारा वन का हिस्सा बताया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। डुमरांव गाँव के 14 प्लॉट आश्रयणी के रूप में अधिसूचित है। वर्तमान में भी स्थिति यथावत है। ESZके अधिसूचना में डुमरांव गाँव या अन्य गाँव जो ESZके अन्तर्गत अवस्थित है, को आश्रयणी के भाग के रूप मे तथा वनभूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।उक्त भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. क्या यह बात सही है कि डुमरांव जैसे कई गाँवों को सरकार द्वारा बगैर किसी अधिसूचना एवं ग्रामवासियों की बिना सहमति से अधिग्रहित कर लिया गया है एवं उनपर इको सेंसिटिव जोन के प्रतिबंध लगा दिए गए है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का प्रारूप अधिसूचना का0आ0–695(अ), दिनांक–08 फरवरी, 2018 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ एवं भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विभागीय बेवसाइट पर जन सुझाव/आपत्ति के लिए 60 दिनों तक उपलब्ध था। प्राप्त सुझाव/शिकायत पर पुर्नविचार करने के उपरांत ही उक्त अधिसूचना को अंतिम रूप से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित मामलों की समीक्षा कर अनियमित रूप से अधिग्रहित गाँवों को वन भूमि की सूची से हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–08/2023–747 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–21, दिनांक–14.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(12)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

288
27/02/2023

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–03

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में छात्रों को पाँच दिन अंडा देने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कैबिनेट के निर्णय के 5 माह बाद भी मध्याह्न भोजन में 5 दिन अंडा नहीं दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कैबिनेट के निर्णय को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 232 दिनांक 04.02.2019 के आलोक में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, सभी गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों, सभी प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पूरक पोषण हेतु सप्ताह में दो दिन यथा– सोमवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के साथ–साथ अंडा/फल उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत छात्रों को पाँच दिन अंडा दिये जाने की अनुशंसा मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राप्त है। इसे क्रियान्वयन से पूर्व यह विचारणीय पाया गया कि वर्ग 1 से 5 के छात्र–छात्राओं की आयु के अनुसार उन्हें सप्ताह मे पाँच दिन अंडा दिया जाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा अथवा नहीं? विशेष रूप से गर्मी के दिनों में। वस्तुतः उद्देश्य प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है। उपर्युक्त दुविधा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य की

Khurshid

		दृष्टि से सप्ताह में स्वास्थ्यबर्द्धक आहार Millets की प्रतिपूर्ति किये जाने के विषय पर कार्रवाई विचाराधीन है। ज्ञातव्य है कि झारखंड में इसकी व्यापक उपज है तथा Millets में पर्याप्त पोषक तत्व की मात्रा है। वर्ष 2023 International Millet Year घोषित है। अतएव इस आलोक में इसका उपयोग प्रासंगिक भी है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–66/2023..288.../राँची, दिनांक...27/02/.../2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–19 दिनांक 14.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(13)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

279
27.02.2023

सुश्री शिल्पी नेहा तिर्की, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–32

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य बनने के 23 वर्ष उपरांत भी उर्दू शिक्षकों के 3700 पद खाली पड़े है;	वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1300 दिनांक 09.11.1999 द्वारा अविभाजित बिहार में योजना अंतर्गत उर्दू शिक्षकों के 15,000 पदों का सृजन मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान किया गया था, जिनमें से झारखंड राज्य के लिए 4401 पद आवंटित है। वर्तमान में स्वीकृत 4401 पदों के विरूद्ध 689 उर्दू शिक्षक कार्यरत है तथा 3712 पद रिक्त है।
2	क्या यह बात सही है कि संयुक्त बिहार सरकार द्वारा 1999 ई. में वैसे विद्यालय जहाँ 10 या अधिक संख्या में उर्दू भाषी छात्र पढ़ते हैं वैसे विद्यालय के लिए लगभग 15,000 पद सृजित किये गये थे, जिसमें झारखंड के हिस्से 4,401 उर्दू शिक्षक का पद आया;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उर्दू शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रारंभिक विद्यालयों में 2009 के शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए जाना था, परन्तु 2012 के शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसे बदल कर इंटर प्रशिक्षित उम्मीदवार को ही आवेदन करने का योग्य माना गया है, जबकि एन.सी.टी.ई. ने वर्ष 2018 में झारखंड सहित सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि शिक्षक पद में बहाली के लिए इंटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से पदों को भरा जाए;	राज्य योजना अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान विभागीय 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में स्वीकृत उर्दू शिक्षकों के 4401 पदों को गैर–योजना में स्थानांतरण विभागीय संकल्प संख्या 259 दिनांक 24.02.2023 द्वारा किया गया है, किन्तु व्ययभार के लिए मात्र 701 पदों पर कार्यरत शिक्षकों को ही सम्मिलित किया जाएगा। उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय स्थापित नियुक्ति नियमावली एवं प्रावधानों के आलोक में लिया जाएगा।

Khurshid

4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने एवं रिक्त पड़े पदों पर इंटर प्रशिक्षित के साथ स्नातक प्रशिक्षण अभ्यर्थियों से भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर कंडिका–3 में सन्निहित है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16 / वि.2–87 / 2023 279 / राँची, दिनांक 27.02 / 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–311 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(14)

281
27/02/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मंडल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–31

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2022–2023 में गरीबी रेखा से नीचे के छात्र–छात्राओं के लिए 60 प्रतिशत सीटें खाली रह गयी और विगत 10 वर्षों में राज्य के कुल 94 प्रतिशत सीटे खाली रह गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 37 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। जिलावार विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 के आलोक में रिक्त सीटों में राँची, बोकारो एवं गोड्डा जिला अव्वल रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलावार विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है ।
3	क्या यह बात सही है कि RTE के अनुपालन हेतु जिला स्तरीय वार्षिक बैठक करना अनिवार्य है;	स्वीकारात्मक ।
4	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई निजी विद्यालय अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता लेने की आड़ में RTE के तहत गरीब बच्चों का नामांकन लेने से इंकार कर देते है, परन्तु जब तक Minority Status Certificate निर्गत नहीं होता है, तब तक वैसे स्कूल नामांकन लेने से इंकार नहीं कर सकते है;	स्वीकारात्मक ।
5	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलावार वर्ष 2022–23 के लिए RTE के तहत कुल सीटो का विस्तृत ब्यौरा देते हुए RTE के अनुपालन हेतु जिला स्तरीय बैठक करने का दिशा–निर्देश देना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2022–23 का जिलावार विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट– 'क' पर संलग्न है। इस संबंध में जिलों को कार्यालय पत्रांक 971 दिनांक 14.04.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गए हैं।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16 / वि.2–86 / 2023 281 / राँची, दिनांक 27/02 / 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–313 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

Enrollment under RTE 12(1)C-2022-23

Sl. No.	District	Total Seats	Total Admission	Gap in Admission
1	Ranchi	1213	636	577
2	Bokaro	528	308	220
3	Godda	35	35	0
4	Chatra	29	29	0
5	Deoghar	361	152	209
6	Dhanbad	684	549	135
7	Dumka	233	152	81
8	Garhwa	231	194	37
9	Giridih	390	383	7
10	Gumla	47	37	10
11	Hazaribagh	209	172	37
12	Jamtara	93	48	45
13	Khunti	48	19	29
14	Koderma	99	64	35
15	Lohardaga	65	21	44
16	Pakur	62	24	38
17	Palamu	141	110	31
18	Pashchimi Singhbhum	184	102	82
19	Purbi Singhbhum	1540	982	558
20	Ramgarh	248	169	79
21	Saraikela-Kharsawan	354	156	198
22	Simdega	180	44	136
Total		6974	4386	2588

(15)

डॉ० सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–14

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था परन्तु आजतक कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि सेल की बोकारो विंग ने गढ़वा के भवनाथपुर में सेल माइनिंग की 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल बनाने का सुझाव दिया था परन्तु सरकार ने इस क्षेत्र को अनुपयूक्त करार दिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विभाग ने केन्द्र के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनंल ट्रेड को पत्र भेजकर बोकारो सेल परिसर के खाली पड़े 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कलस्टर बनाने का सुझाव दिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में इंडस्ट्रियल कलस्टर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	सेल बोकारो द्वारा प्रस्तावित जमीन के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जमीन हस्तांतरित होने के उपरांत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–06/23 240 /राँची, दिनांकः– 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–118 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/04/23

सरकार के अवर सचिव

(16)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–44 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से जंगलों की अंधाधुध कटाई की जा रही है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि माफियाओं द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जंगलों की कीमती लकड़ी की अवैध कटाई करायी जा रही है, साथ ही राज्य से बाहर तस्करी भी किया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि जंगलो के अन्दर रहने वाले गाँवों के लोग भी अपने जरूरतों के हिसाब से जंगलों से लकड़ियाँ काट रहें हैं जिससे आये दिन जंगली जानवरों का शिकार गाँव वाले हो रहे हैं, साथ ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जंगल माफियाओं द्वारा अवैध जंगल कटाई रोकने एवं जंगल में रहने वाले गाँवों के निवासी को खाना बनाने हेतु जलावन के लकड़ी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वनों की अवैध कटाई और माफिया तत्वों के विरूद्ध वनाधिकारियों/वनकर्मियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में वन समितियों की सहायता भी ली जा रही है। स्थानीय ग्रामीण जलावन की आवश्यकता के लिये आसपास के वनों पर आश्रित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–24/2023– 741 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–314, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार अवर सचिव।

(17)

592
27/02/2023

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–10

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्कूल स्तर पर इण्टर की पढ़ाई हेतु कुछ उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य गठन के समय प्राप्त 59, +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त, 576 उच्च विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–22 की अवधि में +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। वर्त्तमान में +2 उच्च विद्यालयों की कुल संख्या 635 है।
2	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी चार उच्च विद्यालय केशरदा, माटिहाना, केन्दाडांगरी तथा माटियाबाँधी आंचलिक उच्च विद्यालय को +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय माटिहाना को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या 98 दिनांक 12.01.2022 द्वारा उत्क्रमित 125, +2 उच्च विद्यालयों में शेष 3, +2 उच्च विद्यालय सम्मिलित हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित विद्यालयों में पढ़ाई हेतु आवश्यक भवन के साथ आधारभूत संरचना न होने के कारण सही अर्थो में पठन–पाठन की क्रिया संचालित नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – **क) +2 उच्च विद्यालय केशरदा** – कुल नामांकन–582, कुल वर्गकक्ष–10, कुल शिक्षकों की संख्या–11, कुल बेंच–डेस्क की संख्या–181 एवं शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। **ख) +2 उच्च विद्यालय केन्दाडांगरी**– कुल नामांकन –370, कुल वर्गकक्ष–07, कुल शिक्षकों की संख्या–07, कुल बेंच–डेस्क की संख्या–95 एवं शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। **ग) +2 उच्च विद्यालय माटियाबांधी**– कुल नामांकन–569, कुल वर्गकक्ष–09, कुल शिक्षकों की संख्या–10, कुल बेंच–डेस्क की संख्या–120 एवं शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के साथ–साथ अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प संख्या 98 दिनांक 12.01.2022 द्वारा उत्क्रमित 125, +2 उच्च विद्यालयों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल +2 स्तर पर पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने हेतु निदेशालयीय पत्रांक 1994 दिनांक 25.07.2022 द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 32 दिनांक 24.02.2023 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त 3, नव उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में प्रत्येक में 08–08 वर्ग कक्ष के भवन का *DMFT Fund* से निर्माण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ एवं पूर्ण किया जाय।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–13/2023 592 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

283
27/02/2023

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–18

<table>
<tr><th rowspan="2">क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–</td><td>श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि देश की नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की अधिक्ता वाले क्षेत्रों में 25 बच्चे पर एक शिक्षक की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में छात्र अनुपात में शिक्षकों की संख्या का निम्न प्रावधान किया गया है :–
<table>
<tr><th>छात्रों की संख्या</th><th>शिक्षकों की संख्या</th></tr>
<tr><td>60</td><td>02</td></tr>
<tr><td>61–90</td><td>03</td></tr>
<tr><td>91–120</td><td>04</td></tr>
<tr><td>121–200</td><td>05</td></tr>
<tr><td>200 से अधिक होने पर</td><td>छात्र शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक को छोड़ कर) 40 से अधिक नहीं होगा।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य अंतर्गत 6500 ऐसे विद्यालय है, जहाँमात्र एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय संचालित है, जिस कारण कक्ष 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के शिक्षक पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यन्तर्गत उन सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पठन–पाठन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु देश की नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के</td><td>राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पठन–पाठन की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमिडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित</td></tr>
</table>

Khurshid

	नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक आचार्य के 29175 पद कुल 50000 पदों की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 2102 दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्रदान की गई है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1060 दिनांक 07.06.2022 द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2022 गठित है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2022 के आलोक में उक्त सृजित 50000 पदों पर (पचास हजार) पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–82/2023 283 /राँची, दिनांक 27/02 /2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–185 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(19)

585
27/02/2023

डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–12

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी निजी विद्यालयों में सुव्यवस्थित कम्प्यूटर लैब तथा कम्प्यूटर विषय के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को आधुनिक तकनीकी की शिक्षा दी जा रही है;	वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 1559 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में से 1082 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अनेकों सरकारी विद्यालयों में आज भी कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है तथा ना तो इसके लिए अनुभवी शिक्षकों की बहाली की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वैसे सरकारी विद्यालयों की संख्या, जहां कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है अथवा राज्य स्तर से कम्प्यूटर लैब का अधिष्ठापन किया जा रहा है, 3015 है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 854 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब के अधिष्ठापन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि कम्प्यूटर लैब एवं शिक्षकों के नहीं होने के कारण सरकारी विद्यालयों के बच्चे वर्त्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक कम्प्यूटर विषय की शिक्षा से वंचित होकर पिछड़ जाते हैं;	उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सुसज्जित कम्प्यूटर लैब स्थापित करवाने तथा भविष्य में शिक्षक की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में कम्प्यूटर विषय के शिक्षकों की भी बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्ष 2022–23 में राज्य के 500 सरकारी मध्य विद्यालयों में राज्य योजना मद से कम्प्यूटर लैब का अधिष्ठापन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है तथा वर्ष 2023–24 में राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में राज्य योजना मद से 1000 विद्यालयों में तथा समग्र शिक्षा के तहत् 1200 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का अधिष्ठापन संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–12/2023 585 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(20)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

278
27.2.23

श्री मनीष जायसवाल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–27

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों (छात्रों) के नामांकन के समय ही बैंक खाता खेलना अनिवार्य है ताकि अध्ययनरत बच्चों को उनके स्कूल ड्रेस, छात्रवृति तथा विभिन्न मदों में मिलनेवाली राशि सीधे उक्त बच्चों के खातें में भेजी जा सके;	आंशिक स्वीकारात्मक । कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थी जिनका बैंक खाता उपलब्ध नहीं है उन्हें विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से पोशाक क्रय कर उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को स्वंय डी.बी.टी./सहायता समूह के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने की अनिवार्यता है ।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में अब तक मात्र 65 प्रतिशत बच्चों का ही खाता खोली गई है जिसमें हजारीबाग में 50 प्रतिशत गिरिडीह में 35 प्रतिशत, चतरा में 40 प्रतिशत सहित राज्य के कई अन्य जिलों में उक्त खाते लगभग 10 लाख बच्चे का नहीं खुली है जिस कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में हजारीबाग जिले के 1472 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के 40 हजार छात्रों का ड्रेस खरीदे बिना ही 1.60 करोड़ रुपये राशि का बिल सरकारी एप (पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेंट सिस्टम) पर अपलोड कर दिया गया जिसका भुगतान भी कर दी गई जिसकी जाँच सरकार द्वारा अब तक नहीं कराई गई है;	स्वीकारात्मक । i) राज्य में अबतक 65 प्रतिशत विद्यार्थियों का हीं खाता खोला जा सका है शेष विद्यार्थियों के खाता खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । दस वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों के खाता खोलने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने हेतु विद्यार्थियों के अभिभावक के साथ बैंकों/डाकघरों में संयुक्त खाता खोलने हेतु निदेश दिये गये हैं। आगामी 3 माह में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा । ii) हजारीबाग जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पोशाक के क्रय के उपरांत विपत्र अपलोड करने के बाद सभी प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के द्वारा कुल रू. 57.77 लाख का विपत्र पारित किया गया है ।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का चालू वित्तीय वर्ष में बैंक खाता खुलवाते हुए खंड–2 में वर्णित मामले की जाँच कराकर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर खण्ड–2 में निहित है ।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–85/2023.278/राँची, दिनांक 27.02./2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–184 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(21)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–30 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने यूनाइटेड किंग्डम (U.K.) के ग्लासगो सम्मेलन–2021 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का वादा किया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि, इस लक्ष्य को पूरा करने में राज्यों की भी अपनी भूमिका तय करने की जिम्मेदारी दी गई है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कोयला आधरित उद्योगों को संचालित करने वाले राज्यों में अग्रणी होने के कारण लक्ष्य को पूरा करने हेतु राज्य को भी अहम भूमिका निभानी होगी;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "शून्य कार्बन उत्सर्जन" के प्रभाव का आकलन के लिए विशेष दल गठित कर इस दिशा में ठोस पहल करना चाहती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों?	"शून्य कार्बन उत्सर्जन" के प्रभाव का आंकलन तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए अधिसूचना सं0–3247, दिनांक–09.11.2022 द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–23/2023– 740 व0प0, दिनांक–27/2/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–315, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती सबिता महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान–सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्ड जंगली हाथियों के आतंक से प्रभावित है तथा आये दिन जंगली हाथियों द्वारा घरों को क्षतिग्रस्त करना, फसल/अनाज की बर्बादी और बेगुनाह ग्रामीणों की जान लेने की घटनाओं में काफी वृद्धि, हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा हाथियों से अनाज एवं फसलों की बर्बादी पर अनाज मद में प्रति क्विंटल–1600/– एवं फसल मद में एक एकड़ पर 8,000/– मकान/घरों की नुकसान पर क्रमशः आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पर 10,000/– गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पर 20,000/– और कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर [illegible]000/– रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों को झारखण्ड राज्य प्रवेश सीमा पर रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। पश्चिमी बंगाल एवं झारखण्ड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली हाथी काफी संख्या मे पाए जाते है। जंगली हाथी प्राप्त भोजन एवं जल की तलाश में स्वाभाविक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते है। जंगली हाथियों में परम्परागत मार्गो पर विचरण करने की अनुवांशिक प्रवृति होती है। ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के चाण्डिल वन प्रक्षेत्र में मानव हाथी–द्वंद की घटनाओं एवं उससे हो रही क्षति को यथा संभव कम करने हेतु सभी वनकर्मी सदैव प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान में सरायकेला वन प्रमण्डल के चाण्डिल प्रक्षेत्र में 01 विशेष गश्ती दल हाथी भगाने में सक्रिय है। हाथियों के आवागमन की सूचना होने पर विशेष गश्ती दल वनरक्षियों के साथ तथा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों के झुण्ड को जंगल की ओर ले जाने की कार्रवाई करते है।
4. क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों को अन्यत्र भगाने के लिए विभाग का प्रशिक्षित दस्ता नहीं है तथा विभाग के पास हाथी भगाने के लिए पटाखा, जलावन और टॉर्च की भी उपलब्धता नहीं है;	अस्वीकरात्मक।

5. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जंगली हाथियों के द्वारा फसल और मकान के नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशियों में बढ़ोत्तरी तथा पश्चिम बंगाल की तर्ज पर सोलर तार फेसिंग कर राज्य की प्रवेश सीमा पर ही हाथियों को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों नहीं?	मुआवजा दर में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली हाथियों के विचरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाना वन्यप्राणी संरक्षण के उदेद्य से प्रतिकूल एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत दुष्कर कार्य है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के स्थायी अवरोध का निर्माण किए जाने से अन्तर्राज्यीय संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए वैसे सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार के अवरोध की अत्यन्त आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के साथ विचार विमर्श कर तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञों से राय प्राप्त कर उक्त का निर्माण किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–25/2023–750 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–316, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(23)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारादिनांक–28.02.2023 कोपूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में चल रही एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना व चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना द्वारा बगैर फॉरेस्ट क्लीयरेंस लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस शर्त्तों का उल्लंघन कर जबरन भूमि अधिग्रहण/खनन कार्य किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। हजारीबाग जिला में चल रही एन.टी.पी.सी. के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए दुमुहानी नाला बेड में कुल 37.20 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया गया है। एन.टी.पी.सी. की चट्टी बरियातु कोल खनन परियोजना में शर्तों का उल्लंघन करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कोल खनन परियोजनाओं द्वारा खनन कार्य शुरू करने से पूर्व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से बगैर लाइसेंस लिए व पर्यावरण संरक्षण हेतु विभागीय नियमों का अनुपालन करने के संबंध में बगैर शपथ पत्र दाखिल किए परियोजनाएं संचालित की जा रही है जिसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई एवं वन भूमि का दोहन जारी है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन एवं वन भूमि को बचाने हेतु कड़े कदम उठाते हुए उपरोक्त खनन परियोजनाओं पर वन नियमों के उल्लंघन करने के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	एन.टी.पी.सी. की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में भारत सरकार से स्टेज–II में लगाये गए शर्त संख्या–8 का उल्लंघन करते हुए दुमुहानी नाला बेड में कुल–37.20 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया गया है, जिसकी सूचना पूर्ण विवरणी के साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भी इस मामले को Forest Advisory Committee की बैठक में रखा जा चुका है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश–F.No-8-56/2009-FC.Pt. दिनांक–28.12.2022 के माध्यम से जांच हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–17.02.2023 द्वारा उक्त समिति को प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का अनुरोध भी किया गया है। इस समिति का स्थल भ्रमण भी निकट भविष्य में संभावित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–13/2023– 742 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–86, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(24)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्र.स.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के अधिकतर विभागों सहित जिलों की सरकारी वेबसाईट वर्त्तमान में वर्षों से अपग्रेड नहीं की गई है, जिससे सरकार के ऑनलाईन व्यवस्था, मॉनिटरिंग, पारदर्शिता सहित डीबीटी भुगतान व तरह–तरह के पोर्टल का अपडेट अवलोकन प्रभावित हो रहा है एवं विभिन्न विभागों और जिलों में क्रियान्वित सैकड़ों योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी आमजनों को नहीं हो पा रही है;	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई०गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड द्वारा State Portal (https:/jharkhand.gov.in) का संचालन एवं रख–रखाव जैप–आई०टी० के माध्यम से किया जाता है जो कि updated है। यद्यपि संबंधित विभागों को अपने–अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं का अद्यतन अपने स्तर से करने की भी सुविधा State Portal (https:/jharkhand.gov.in) में प्रदान की गयी है। जिलों की सरकारी वेबसाईट का संचालन NIC के माध्यम से किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है, कि इस वेबसाईटो में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) के अनुसार स्वतः प्रकटीकरण के तहत् इस अधिनियम के लागू होने से 120 दिनों के अंदर जो 17 बिंदुओं पर सूचनाएं स्वतः पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करनी थी वह आज तक भी पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो सकी है;	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1) के तहत् सूचनाओं का अद्यतन स्थिति संबंधित विभाग अपने स्तर से प्रकाशित करने की सुविधा स्टेट पोर्टल में प्रदान की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी विभागों और सभी जिलों की सरकारी वेबसाईट को अपग्रेड करवाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) का अनुपालन करवाते हुए उक्त समस्त सूचनाओं को अपडेट करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1) के तहत् सूचनाओं का अद्यतन स्थिति संबंधित विभाग अपने स्तर से प्रकाशित करने की सुविधा स्टेट पोर्टल में प्रदान की गयी है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-03/2023/IT – 361 रांची, दिनांक : 27-02-2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–117, दिनांक 21.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार) 27/2/23
अवर सचिव।

D:Vidhansabha QSL

(28)

595
27/02/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–16		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के 1551 स्कूलों में से 1064 स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है और 454 स्कूलों के लिए खेल सामग्री हेतु मिले 30,87,870/– रुपये पिछले मार्च में ही लैप्स हुए हैं, जिसके कारण इन स्कूलों के बच्चे फुटबॉल, हॉकी, बॉलीबॉल, तीरंदाजी, क्रिकेट जैसे खेलों में भाग नहीं ले पा रहे हैं और ऐसी ही स्थिति राज्य के अधिकांश जिलों के स्कूलों में है, जिनके पास न तो खुद के खेल के मैदान हैं, न शिक्षक और न ही खेल सामग्री के पैसे;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 637 दिनांक 25.02.2023 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 265 दिनांक 27.02.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो जिले के 1551 सरकारी स्कूलों में से 1064 स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। उन विद्यालयों द्वारा खेल गतिविधियों हेतु निकटस्थ मैदानों का उपयोग किया जाता है। प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 636 दिनांक 25.02.2023 के अनुसार वर्ष 2021–22 के *UDISE Plus* के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 35438 सरकारी विद्यालयों में से 16954 विद्यालयों में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। (*ii*) विगत वित्तीय वर्ष में 1542 स्कूलों में खेल सामग्री हेतु रु. 79,02,000/– (उनासी लाख दो हजार) मात्र राशि आवंटित की गयी थी, जिसमें से 1088 विद्यालयों के द्वारा रु. 48,14,130/– (अड़तालीस लाख चौदह हजार एक सौ तीस) मात्र की राशि का खेल सामग्री क्रय किया गया था तथा नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली (*SNA*) का प्रथम बार उपयोग होने के कारण शेष 454 विद्यालयों का विद्यालय स्तर पर समुचित जानकारी के अभाव में पूरी तत्परता बरते जाने के बावजूद तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 दिनों में सर्वर स्लो रहने के कारण रु. 30,87,870/– (तीस लाख सतासी हजार आठ सौ सत्तर) मात्र की राशि लैप्स हुई थी। (*iii*) साथ ही प्रतिवेदन अनुसार, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जिले के 554 विद्यालयों (मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों) को खेल सामग्री के क्रय हेतु समग्र शिक्षा अन्तर्गत रु. 72,45,000/– (बहत्तर लाख पैंतालीस हजार) राशि संबंधित विद्यालय को आवंटित की गयी है। इसमें 427 विद्यालयों के द्वारा खेल सामग्री का क्रय विद्यालय स्तर पर कर लिया गया है, शेष 127 विद्यालयों के द्वारा भी खेल सामग्री का क्रय प्रक्रियाधीन है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के संबंध में सूचित किया गया है। (*iv*) राज्य के 2326 उच्च विद्यालयों में 1808 स्नातक प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत है, जिसमें वर्त्तमान में 585 शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं तथा 1223 पद रिक्त हैं। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञप्ति संख्या 21/2016 के तहत् माननीय उच्चतम् न्यायालय के सिविल अपील सं. 4044/2022 से उद्भूत अवमाननावाद (सि.) सं. 612/2022 में दिनांक 15.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में उच्च विद्यालय के शेष रिक्त पदों पर राज्यस्तरीय मेधा सूची के आधार पर अनुशंसा एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–16

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो में मात्र 21 स्कूलों में ही खेल शिक्षक नियुक्त हैं;	बोकारो जिले के 22 उच्च विद्यालयों एवं 05 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खेल शिक्षक नियुक्त हैं। उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 82 है, जिसमें वर्त्तमान में 22 शिक्षक कार्यरत हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के स्कूलों में सभी अत्याधुनिक आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हुए कंडिका–1 और कंडिका–2 में वर्णित उक्त भयावह स्थिति के लिए जवाबदेह पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में सन्निहित है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–15 / 2023 595 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

(26)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बुण्डू, तमाड़ एवं सोनाहातू में हाथियों के द्वारा कुछ दिनों के अन्तर्गत ही 4 से 5 लोगों को मार दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में एक भी एलीफैंट कॉरिडोर नहीं है जिसके कारण हाथी इधर से उधर मजबूरन विचरण करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड राज्य में एलीफैंट कॉरिडोर अधिसूचित नहीं है। परन्तु यह हाथियों के उक्त क्षेत्र में इधर–उधर विचरण का मुख्य कारण नहीं है। मानव की जनसंख्या वृद्धि, वन्यजीव पर्यावास के खण्डन, घरों में मादक पदार्थ का रखा जाना एवं उसका सेवन, हाथी द्वारा क्षति पहुँचाये जाने के विरूद्ध ग्रामीणों की आक्रोशजनित प्रतिक्रिया, जंगली हाथियों के खाने की आदत में बदलाव, सुरक्षित पर्यावास का अभाव आदि अनेक कारण हाथी–मानव द्वंद के कारक हो सकते हैं।
3. क्या यह बात सही है कि सबसे नजदीकी एलीफैंट कॉरिडोर डलमा वाइल्ड लाईफ सेंचुरी है जहाँ हाथियों के उचित तरीके से रहने की पर्याप्त व्यवस्था है परन्तु वहाँ की क्षमता से बेहद कम हाथी मौजूद है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित एक संरक्षित क्षेत्र है। दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी में जंगली हाथी की वर्ष के अधिकतर समय पर्याप्त संख्या में हाथी रहते हैं। दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी में हाथी पश्चिमी बंगाल एवं समीपवर्ती स्थलों से आते–जाते रहते हैं।
4. क्या यह बात सही है कि बुण्डू, तमाड़ एवं सोनाहातू में हाथियों के प्रकोप को कम करने के लिए वन विभाग का कोई भी प्रयास सार्थक साबित नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारियों की एक समिति बनाकर तुरंत बुण्डू, तमाड़ एवं सोनाहातू से हाथियों को डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिफ्ट करने का तथा विधान सभा क्षेत्र के आसपास एक एलीफैंट कॉरिडोर के निर्माण का विचार रखती है, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को अपना प्राण ना गंवाना पड़े, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–07/2023– 749 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–22, दिनांक–14.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक—28.02.2023 को पृच्छित अल्प सूचित प्रश्न संख्या —39 का उत्तर—

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीज़ूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन (नवम्बर—2000) के बाद राज्य में खेल प्रशिक्षकों का नियमित नियुक्ति नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय अंतर्गत क्रीड़ा प्रशिक्षक के स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2019 में कुल 16 प्रशिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई। इससे पूर्व 03 अन्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खेल प्राधिकरण (साझा झारखण्ड) और खेल विभाग के सहयोग से होटवार में सी०सी०एल० के साथ मिलकर चलाए जाने वाले JSSPS के पास खेल प्रशिक्षकों की कमी के कारण विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका—1 एवं 2 में अंतर्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०—12/2023 410 /   राँची, दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0—309/वि०स०, दिनांक—23.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के उप सचिव

(24)

591
27/03/2023

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–29

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी जिलों के 1000 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि आवंटित की गयी है;	स्वीकारात्मक। नीति आयोग द्वारा राज्य के 1000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। स्मार्ट क्लास संचालन संबंधी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022–23 से योजना प्रारंभ किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों के 820 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारम्भ हो जाने की औपचारिक सूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दी गई है, परन्तु शेष 180 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू हुआ या नहीं, इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 644 दिनांक 26.02.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 1000 विद्यालयों में से 951 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है एवं स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। शेष 49 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके इस वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करते हुए उपयोग प्रारम्भ किये जाने की सूचना, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 180 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास अविलम्ब प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–39/2023 591 / दिनांक 27/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।